न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर –मसूदा जिला अजमेर राज0

राजस्व मु0नं0 30/2014

1. सत्यनारायण पुत्र बालूराम तेली निवासी– सिन्धी कॉलोनी –बिजयनगरतहसील–बिजयनगर जिला अजमेर

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. श्रीमति मोना पत्नि महावीरसिहँ जाति– राजपूत
2. श्रीमति हगामी पत्नि गोपाल गुर्जर
3. श्री भॅवर पुत्र नाथू खाती
4. श्री रामकरण पुत्र नाथू खाती –निवासीगण – केसरपुरा ग्राम पंचायत – बाड़ी तहसील –बिजयनगर जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार–बिजयनगर तहसील– मसूदा जिला–अजमेर

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :–23/5/15

प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि मौजा केसरपुरा पटवार क्षैत्र खूटियॉ ,भू0अ0नि0 क्षैत्र जालिया –2 तहसील–बिजयनगर की जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 187 के ख0न0 599 रकबा 03–18–00 बीघा भूमि प्रार्थी की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है। जिसकी सीमा को लेकर यदा–कदा विवाद होता रहता है। इसके सीमाकंन बाबत तहसीलदार महोदय से निवेदन करने पर अप्रार्थीगण विवाद करते रहते है। इसलिए यह प्रार्थना–पत्र लाना पड़ा है।

प्रार्थी की इस प्रश्नगत भूमि के सीमाकंन एवं पत्थरगढी बाबत कोई विधिक एवं कानूनी अड़चन नही है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की इस आराजी में दखलदांजी करते रहते है तथा प्रार्थी को बेदखल करने की मंशा रखते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली आज मेघा लोक अदालत केम्प मुकाम लो डियाना पर पेश हुई । प्रार्थी उपस्थित/अप्रार्थिया सं0 1 मोना स्वंय तथा अप्रार्थिया 2 मु0 हगामी के पति गोपाल उपस्थित । अप्रार्थी सं0 3 व 4 कमशः भॅवर व रामकरण अनुपस्थित। उन्हे आवाजे लगवाने पर कोई उपस्थित नही आया । अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।

आज मेघा लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान ने सद्भाविक रूप व आपसी सहमति से प्रश्नगत आराजी का सीमाकंन एंव पत्थरगढी किये जाने में सहमति जताई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी मौजा केसरपुरा स्थित प्रश्नगत आराजी ख0न0 599 में साधिकार खातेदार है। वह अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी पाया जाता है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार–बिजयनगर को मौका कमीश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम केसरपुरा जाकर प्रार्थी की आराजी ख0न0 599 का सीमाकंन कर अन्दर मियाद 15 दिवस पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23/5/15 को लोक अदालत केम्प मुकाम लोडियाना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 14:30:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: